

## आधार (नामांकन और अदयतन) विनियम, 2016<sup>1</sup>

(15.2.2024 तक अद्यतीकरण किया गया)

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ए), (बी), (डी), (ई), (जे), (के), (एल), (एन), (आर), (एस) एवं (वी) तथा उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अदयतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2) कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.—** (1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 से है;
- (ख) "आधार पत्र" का अभिप्राय किसी [आधार नंबर धारक] को आधार नंबर संप्रेषित करने वाले दस्तावेज़ से है;
- (ग) "आधार नंबर धारक" का अभिप्राय कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अंतर्गत आधार नंबर जारी किया गया है, से है;
- (घ) "अधिप्रमाणन" का अभिप्राय, वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा उसके आधार नंबर समेत किसी व्यक्ति के जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमेट्रिक सूचना उसके सत्यापन के लिए 'केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार (सेंट्रल इडेंटिटीज़ डाटा रेपोजिटरी) के पास जमा की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसकी शुद्धता अथवा कमी को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सत्यापित करता है, से है;
- (च) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;
- (छ) "केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" अथवा "सीआईडीआर" का अभिप्राय एक या एक से अधिक स्थानों पर केन्द्रीकृत डाटाबेस है, जिसमें आधार नंबर धारक को जारी आधार नंबर

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक सं. 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 का सं. 2) द्वारा सूचित किया गया और बाद में संसोधन अधिसूचनाओं संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का सं. 1) प्रभावी दिनांक 15.2.2017; संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का सं. 2) प्रभावी दिनांक 7.7.2017; संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 का सं. 3) प्रभावी दिनांक 11.7.2017; संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (13) (2018 का सं. 1) प्रभावी दिनांक 12.1.2018; संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (13) (2018 का सं. 2) प्रभावी दिनांक 31.7.2018; संख्या 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (13) (वीओएल-II) (2019 की सं. 3) प्रभावी दिनांक 9.9.2019; संख्या एचक्यू -16041/4/2021-इयू-1-एचक्यू-पार्ट (I) (2022 की सं. 2) प्रभावी दिनांक 1.1.2023; संख्या एचक्यू -16027/1/2022-इयू-1-एचक्यू-पार्ट (I) (2022 की सं. 6) प्रभावी दिनांक 9.11.2022; संख्या एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू (ई), प्रभावी दिनांक 29.9.2023; संख्या एचक्यू -16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू (ई), दिनांक 16.1.2024; संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू (ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024)।

<sup>2</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (दिनांक 27.1.2024 से प्रभावी) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

सहित ऐसे व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक सूचना तथा तत्संबंधी अन्य संबद्ध सूचना शामिल है, से है;

<sup>3</sup>[छक) "डेटाबेस" से अभिप्राय डेटा के संगठित संग्रहण से है, जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क से इलेक्ट्रॉनिकी रूप में संग्रहित और एक्सेस किया जाता है;]

<sup>4</sup>[(छख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;]

(ज) "नामांकन एजेंसी" का अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए प्राधिकरण अथवा किसी पंजीयक द्वारा नियुक्त एजेंसी से है;

(झ) "नामांकन" का अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमों में विहित व्यक्तियों को अधिनियम के अंतर्गत आधार नंबर जारी करने के प्रयोजन से नामांकन एजेंसियों द्वारा उनसे जनसांख्यिकीय सूचना तथा बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया से है;

(ट) "नामांकन केंद्र" का अभिप्राय <sup>5</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारकों की सूचना का अद्यतीकरण] करने के लिए किसी नामांकन एजेंसी द्वारा बनाया अस्थायी केंद्र से है;

(ठ) "नामांकन आईडी" या "ईआईडी" का अभिप्राय नामांकन के समय <sup>6</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] को आवंटित 28 अंकीय नामांकन पहचान नंबर से है;

<sup>7</sup>(ड) ["परिवार का मुखिया" से अभिप्राय नामांकन की प्रक्रिया <sup>8</sup>[\*]से गुजरने वाले व्यक्ति के परिवार के ऐसे सदस्य, या ऐसे व्यक्ति के विधिक संरक्षक से है,—

(i) जिसके बारे में उस व्यक्ति के संबंधी होने का प्रमाण देने वाला दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख प्रस्तुत किया गया है; और

(ii) जो ऐसे व्यक्ति का पिता-माता या संरक्षक है;]

(ढ) "पहचान सूचना" में किसी व्यक्ति के संबंध में उसका आधार नंबर, जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना शामिल है;

<sup>9</sup>[(ढक) "अक्षम व्यक्ति" इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी भी 'शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने या निर्णय लेने में असमर्थ है;]

<sup>3</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023 की द्वारा, "डेटाबेस" की नई परिभाषा की प्रविष्टि की गयी।

<sup>4</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 की द्वारा, "इलेक्ट्रॉनिक रूप" की नई परिभाषा की प्रविष्टि की गयी।

<sup>5</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों के नामांकन और उनकी सूचना अद्यतित" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>6</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>7</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022- विधि-एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023 की द्वारा, "परिवार का मुखिया" की परिभाषा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>8</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा "या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण की" शब्दों का लोप किया गया।

- (ण) "परिचयदाता" का अभिप्राय ऐसे <sup>10</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] का परिचय देने के लिए, जिनके पास विहित संगत दस्तावेज नहीं है, पंजीयकों द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (त) "ऑपरेटर" से नामांकन केंद्रों पर नामांकन प्रक्रिया का संपादन करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कार्मिक अभिप्रेत है;
- (थ) "पंजीयक" (रजिस्ट्रार) का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त किसी संस्था से है;
- (द) "विनियम" का अभिप्राय आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 से है;
- (ध) "निवासी" का अभिप्राय ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने नामांकन आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में 182 दिन अथवा उससे अधिक की अवधि अथवा अवधियों में भारत में निवास किया हो;
- (न) "सेवा प्रदाता" का अभिप्राय नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया से जुड़े किसी कार्य का निर्वहन करने के संलग्न सभी संस्थाएं शामिल हैं, से है;
- (प) "पर्यवेक्षक" का अभिप्राय नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंध करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कार्मिक से है;
- (फ) "सत्यापक" का अभिप्राय नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पंजीयकों द्वारा नियुक्त कार्मिक से है।

(2) इन विनियमों में उपयोग के लिए सभी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें अधिनियमों अथवा नियम अथवा अन्य विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

## अध्याय-II

### <sup>11</sup>[नामांकन प्रक्रिया]

**3. नामांकन के लिए अपेक्षित बायोमेट्रिक सूचना.—** (1) नामांकन करवाने वाले सभी व्यक्तियों (पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के अलावा) से निम्नलिखित बायोमेट्रिक सूचना एकत्रित की जाएगी :

- (i) चेहरे की आकृति;
- (ii) सभी दस अंगुलियों की छाप; और
- (iii) दोनों पुतलियों का स्कैन।

(2) बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने के मानक वे होंगे जो इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विहित किए जाएं।

<sup>9</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2018 की संख्या 2), दिनांक 31.7.2018 की द्वारा, "अक्षम व्यक्ति" की नई परिभाषा की प्रविष्टि की गयी।

<sup>10</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>11</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा अध्याय II के शीर्षक "निवासी नामांकन प्रक्रिया" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

**12[4. जनसांख्यिकीय सूचना.—** (1) किसी ऐसे व्यक्ति, जो नामांकन करा रहा है और जिसकी आयु पांच वर्ष से अधिक है, के संबंध में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय सूचना संग्रहित की जाएगी, नामत :—

- (क) नाम;
- (ख) जन्म तिथि;
- (ग) लिंग; और
- (घ) पता।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित जनसांख्यिकीय सूचना के अतिरिक्त, नामांकन के दौरान नामांकन प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय सूचना, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नामांकन के दौरान संग्रहित की जा सकती है, नामत : —

- (क) मोबाइल नंबर; और
- (ख) ईमेल पता।

(3) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक नामांकन चाहता है, तो उसे अपना ईमेल पता प्रस्तुत करना होगा।

**स्पष्टीकरण.—**इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "अनिवासी भारतीय" का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला भारत का नागरिक है किंतु अधिनियम की धारा 2 के खंड (फ) में यथा परिभाषित निवासी नहीं है।

(4) यदि कोई नामांकन चाहने वाला व्यक्ति एक बालक या ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त किया गया है और वह उप-विनियम (1) के अंतर्गत परिवार के मुखिया द्वारा पुष्टि के जरिए अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, जनसांख्यिकीय सूचना के अतिरिक्त, ऐसे बालक या व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना नामांकन के दौरान संग्रहित की जाएगी, नामत :—

- (क) परिवार के मुखिया का नाम;
- (ख) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के साथ परिवार के मुखिया का संबंध;
- (ग) परिवार के मुखिया का आधार नंबर; और
- (घ) परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक सूचना।

**5. पांच वर्ष से कम आयु के बालक के नामांकन के लिए सूचना.—** नामांकन की प्रक्रिया से गुजर रहे पांच वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में निम्नलिखित सूचना संग्रहित की जाएगी, नामत : :—

- (क) नाम;
- (ख) जन्म तिथि;
- (ग) लिंग;
- (घ) चेहरे की छवि;
- (ङ) माता-पिता या संरक्षक का आधार नंबर, बालक के साथ संबंध के ब्यौरे सहित;
- (च) माता-पिता या संरक्षक की बायोमेट्रिक सूचना, उसके पते सहित :

परंतु यह कि यदि माता-पिता या संरक्षक का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो इसके कारण दर्ज किए जाएंगे :

परंतु यह और कि खंड (च) में संदर्भित माता-पिता या संरक्षक की पहचान बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए स्थापित की जाएगी।]

**6. बायोमेट्रिक अपवादों के साथ <sup>13</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] का नामांकन.—**(1) जिन <sup>14</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] के अंगुलियों के निशान चोट, विकृति, अंगुली/हाथ के कटे या किसी अन्य संबंधित कारण से लेना संभव न हो उनके केवल आँखों की पुतलियों के स्कैन लिए जाएंगे।

(2) उन <sup>15</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] के लिए प्राधिकरण नामांकन और अद्यतन सॉफ्टवेयर में अपवादों के लिए व्यवस्था करेगा को इन विनियमों में अपेक्षित किसी बायोमेट्रिक सूचना को प्रदान नहीं कर सकते और इस प्रकार के नामांकन प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न किए जाएंगे।

**7. पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों आदि की नामांकन में भूमिका.—**(1) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पंजीयक स्वयं अथवा उनके द्वारा अनुबंधित/नियुक्त किसी नामांकन एजेंसी के माध्यम से <sup>16</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] का नामांकन कार्य करेंगे।

(2) नामांकन एजेंसी <sup>17</sup>[आधार नंबर धारकों के नामांकन और उनकी सूचना के त्रुटिशोधन या अद्यतीकरण] करने के लिए नामांकन केंद्र स्थापित करेंगी। नामांकन केंद्रों खोलना, प्रदान की जाने वाली सेवाएं और उनके संचालन के लिए अन्य दिशानिर्देश इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप होंगे।

(3) नामांकन कार्य इस प्रयोजन के लिए बनाए गए स्थायी नामांकन केंद्रों और अस्थायी केंद्रों में किया जाएगा।

(4) नामांकन केंद्रों में नामांकन कार्य ऑपरेटरों, सत्यापकों, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकृत कार्मिकों द्वारा संपन्न किया जाएगा।

---

<sup>13</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>14</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>15</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>16</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>17</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों के नामांकन, उनकी सूचना का अद्यतन और त्रुटिशोधन की सूचना" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

(5) पंजीयक विनियम 10 में विहित वैकल्पिक नामांकन तरीकों के माध्यम से ऐसे <sup>18</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] का नामांकन करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा, जिनके पास कोई संगत दस्तावेज़ नहीं है।

**8. नामांकन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सॉफ्टवेयर इत्यादि.**—(1) पंजीयक और नामांकन एजेंसियां नामांकन के प्रयोजन द्वारा दिये अथवा अधिकृत किए गए सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करेंगी।

(2) मानक नामांकन/अद्यतन सॉफ्टवेयर में ऐसे सुरक्षा मानक होंगे, जो इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विहित किए जाएं।

(3) नामांकन में इस्तेमाल किए होने वाले सभी उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक यंत्र और अन्य सहायक सामग्री इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विहित विनिर्देशन के अनुरूप होंगे।

(4) नामांकन के लिए इस्तेमाल होने वाला बायोमेट्रिक यंत्र इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विहित विनिर्देशन की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा और यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।

**9. नामांकन के समय <sup>19</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] को सूचना का प्रकटन.**—नामांकन एजेंसी नामांकन के समय, नामांकन करवाने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित ब्योरे की सूचना देगी :

(क) सूचना किस विधि में इस्तेमाल की जाएगी;

(ख) उस प्राप्तकर्ता का स्वरूप जिसके साथ अधिप्रमाणन के दौरान सूचना साझा की जाएगी; <sup>20</sup>[\*\*\*]

(ग) सूचना की पहुंच के अधिकार का विद्यमान होना, ऐसी पहुंच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया, जिसके समक्ष ऐसे अनुरोध किए जाएंगे उस व्यक्ति अथवा विभाग के प्रभारी का ब्योरा <sup>21</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] को उपर्युक्त ब्योरे की सूचना अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में, नामांकन फॉर्म के माध्यम से की जाएगी <sup>22</sup>।]

<sup>23</sup>[घ) एक व्यक्ति, जिसने वयस्कता की आयु अर्थात् अठारह वर्ष प्राप्त पूरे न किए हों, के मामलों में नामांकन एजेंसी ऐसे अवयस्क व्यक्ति के माता-पिता/संरक्षक को विनियम 9(क), (ख) और (ग) के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण करेगी; और

(च) अक्षम व्यक्ति के मामले में, नामांकन एजेंसी अक्षम व्यक्ति के लिए न्यायालय या अन्य कानून के अधीन नियुक्त कानूनी संरक्षक को विनियम 9 (क), (ख) और (ग) के अनुसार सूचना का प्रकटीकरण करेगी।]

<sup>18</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>19</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>20</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 की संख्या 2), दिनांक 31.7.2018 की द्वारा शब्द "और" हटा दिया गया।

<sup>21</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>22</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 की संख्या 2), दिनांक 31.7.2018 की द्वारा, "।" को प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>23</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 की संख्या 2), दिनांक 31.7.2018 के द्वारा प्रविष्टि किया गया।

**24[10. सूचना प्रस्तुत करना और सत्यापन करना.—**(1) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को अनुसूची I में दिये हुए प्ररूप में आवेदन जमा करना होगा और—

- (क) नामांकन केंद्र पर, मूल रूप में, सत्यापन और स्कैनिंग के लिए, पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण और, जहां लागू हो, जन्म तिथि का प्रमाण या संबंध का प्रमाण या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के साक्ष्य के तौर पर एक या अधिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा; या
- (ख) ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षित से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से खंड (क) में संदर्भित प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण या सूचना की इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्ति नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या अधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होने के अधधीन होगी।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित प्रमाणों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकने वाले दस्तावेजों की एक सूची अनुसूची II में है।

(3) किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण में दस्तावेजों का संग्रहण आवश्यक नहीं होगा जहां—

- (क) भारत के महापंजीयक द्वारा बायोमेट्रिक सूचना या जनसांख्यिकीय सूचना का नामांकन या अद्यतन किया गया है; या
- (ख) उक्त प्रमाणों के साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना, ऐसी सूचना को तैयार करने या उसका अनुरक्षित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा तैयार या अनुरक्षित डेटाबेस से उपलब्ध है।

(4) नामांकन की प्रक्रिया के भाग के रूप में संग्रहित की गई सूचना का सत्यापन अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उप-विनियम (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रमाणों की इलेक्ट्रॉनिकी सूचना के आधार पर किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसे सत्यापन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी की सहायता ली जा सकेगी।<sup>24</sup>]

**25[11. नामांकन केंद्र पर सूचना को संग्रहित करना.—**(1) ऑपरेटर—

- (क) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूची-I में दिए हुए प्रपत्र में प्रस्तुत जनसांख्यिकीय सूचना; और
- (ख) प्राधिकरण द्वारा जो सॉफ्टवेयर प्रदत्त या अनुमोदित किया गया है केवल उसका उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक सूचना, को प्रग्रहित (कैप्चर) करेगा।

(2) विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, ऑपरेटर—

<sup>24</sup>अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023 की द्वारा, विनियम 10 को प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>25</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (क) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति बनाएगा;
- (ख) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रग्रहित (कैचर) की गई सूचना और खंड (क) में निर्दिष्ट प्रति की सटीकता की पड़ताल करने का अवसर देगा और, ऐसी पड़ताल के पश्चात्, ऐसी सूचना और प्रति को सीआईडीआर को अपलोड करेगा;
- (ग) ऐसे किसी दस्तावेज की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति को बनाएगा या संग्रहित नहीं करेगा, सिवाय—
- खंड (ख); या
  - अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं अन्य विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी नीति, प्रक्रिया, दिशानिर्देश, आदेश, कार्यप्रणाली, मानक, विनिर्देशन या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट उपबंधों, के अनुसार;
- (घ) ऐसे दस्तावेज वापस करेगा; और
- (ङ) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को ईआईडी और अन्य नामांकन विवरण से युक्त एक पावती प्रदान करेगा।

(3) नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, मानक और दिशानिर्देश, और इसे संपादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र, खाके (टेम्पलेट्स) और जांच पड़ताल सूची (चेकलिस्ट्स), ऐसी होंगी जैसी प्राधिकरण इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।]

**12. सेवा के लिए आधार की अपेक्षा रखने वाली अजेंसियां।—** केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी विभाग अथवा एजेंसी जो किसी व्यक्ति से अधिनियम की धारा-7 के परिणामस्वरूप किसी सब्सिडी, लाभ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों में नामांकन केंद्र बनाने अथवा स्वयं पंजीयक बनकर नामांकन सुविधा सहित उपायुक्त उपायों से अपने लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगी, जिनका नामांकन अभी होना है <sup>26</sup>[या जिनके आधार विवरण को अद्यतन किया जाना है।]

**<sup>27</sup>[12ए. दायित्व पूर्ति आदि के लिए आधार की अपेक्षा रखने वाली <sup>28</sup>[संस्थाएं].—** प्राधिकरण को किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारी विभाग <sup>29</sup>[अथवा एजेंसी अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अन्य संस्था], जो किसी व्यक्ति से किसी सब्सिडी, लाभ सेवा अथवा <sup>30</sup>[किसी अधिनियम] या विनियम या इनके अंतर्गत बनाए गए आदेश के अनुसरण में दायित्व पूर्ति के लिए अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त रखती है, से यह अपेक्षा होगी की वे अपने परिसर में नामांकन केन्द्र स्थापित करें ताकि ऐसे व्यक्ति, जिसने अभी तक नामांकन नहीं कराया है या अपना आधार विवरण अद्यतन नहीं कराया है, का नामांकन सुनिश्चित हो।]

<sup>26</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 2), दिनांक 7.7.2017 की द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट किया गया।

<sup>27</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 की संख्या 2), दिनांक 7.7.2017 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

<sup>28</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 3), दिनांक 11.7.2017 की द्वारा शीर्षक में "एजेंसियों" शब्द को "संस्थाएं" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>29</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 3), दिनांक 11.7.2017 की द्वारा "अथवा एजेंसी" शब्दों को "अथवा एजेंसी अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अन्य संस्था" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>30</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 3), दिनांक 11.7.2017 की द्वारा "किसी अन्य अधिनियम" शब्दों को "किसी अधिनियम" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

### अध्याय-III

#### <sup>31</sup>[आधार नंबरों का सृजन और उनका परिदान]

**13. आधार नंबर तैयार करना.—**(1) पंजीयक और नामांकन एजेंसियां प्राधिकरण द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए नामांकन पैकेट केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार पर अपलोड करेंगी।

(2) प्राधिकरण पंजीयक द्वारा प्राप्त नामांकन आंकड़ों का प्रक्रमण करेगा और डीडुप्लीकेशन तथा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अन्य जांचों के बाद आधार नंबर तैयार करेगा।

**14. नामांकन रद्द करना.—**(1) <sup>32</sup>[आधार नंबर धारक] द्वारा दो नामांकन करवाने, इसकी गुणवत्ता और किसी अन्य तकनीकी कारण से प्राधिकरण नामांकन को रद्द कर सकता है।

(2) दोहरे नामांकन के कारण नामांकन रद्द होने की स्थिति में, <sup>33</sup>[आधार नंबर धारक] को उस नामांकन के बारे में प्राधिकरण द्वारा यथा विहित विधि से सूचना दी जाएगी, जिसके लिए उसका आधार नंबर तैयार किया गया है।

**15. आधार नंबर संप्रेषित करना.—**(1) <sup>34</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों] को आधार नंबर प्रत्यक्ष रूप में (पत्र अथवा कॉर्ड सहित) और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में (प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध अथवा एसएमएस द्वारा) संसूचित किया जा सकता है।

(2) प्रिंटिंग, प्रेषण और संप्रेषित से जुड़े अन्य कार्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा लगाई गए सभी एजेंसियां लागू प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगी।

### अध्याय-IV

#### <sup>35</sup>[आधार नंबर धारक की सूचना का अद्यतीकरण]

**16. पहचान सूचना का अद्यतन करने के लिए अनुरोध.—**आधार नंबर धारक, <sup>36</sup>[इस अध्याय में दी गई निर्दिष्ट प्रक्रिया] के अनुरूप अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत दिए गए मामलों में अपनी जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमेट्रिक सूचना में परिवर्तन करवा सकता है।

<sup>31</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा अध्याय III के शीर्षक शब्द "आधार नंबर तैयार कर निवासियों को इसे संप्रेषित करना" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>32</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>33</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>34</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>35</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा अध्याय IV के शीर्षक शब्द "निवासी की सूचना का अद्यतन" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>36</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023 की द्वारा, "प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रक्रिया" को प्रतिस्थापित किया गया।

**37[16क. दस्तावेज या सूचना को अद्यतित करना.—**एक आधार नंबर धारक, उसे समनुदेशित आधार नंबर के सृजन की तारीख से 10 वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, अनुसूची-1 में दिए गए ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो या प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर प्रावधानित ऑनलाईन प्रपत्र में, विनियम 10 में निर्दिष्ट पहचान के सबूत और पते के सबूत को साक्षित करने वाले दस्तावेजों या सूचना को प्रस्तुत करके और—

- (क) अधिप्रमाणन करके और ऐसे दस्तावेजों को, मूल में, एक नामांकन केंद्र पर विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में यथा उपबंधित के समान रीति से प्रस्तुत करके;
- (ख) प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर इस प्रयोजनार्थ उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करके; या
- (ग) उक्त सबूतों को साक्षित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति दे करके,

कम से कम एक बार अद्यतित कर सकेगा, ताकि केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में उसकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित करने में सहायता हो :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोडिंग या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्त प्राधिकरण द्वारा अद्यतीकरण की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा इसे समर्थित किए जाने के अध्वधीन होगा।]

**17. बच्चों के लिए अनिवार्य अद्यतन.—**प्राधिकरण की यह अपेक्षा है कि 5 वर्ष की आयु और 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर बच्चों की बायोमेट्रिक सूचना का प्राधिकरण द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा।

**18. अद्यतन के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सॉफ्टवेयर, इत्यादि.—**(1) अद्यतन प्रक्रिया में लगे हुए पंजीयक, नामांकन एजेंसियां अथवा अन्य सेवा प्रदाता अद्यतन प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध अथवा अनुमोदित सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करेंगे।

(2) मानक अद्यतन सॉफ्टवेयर में ऐसे सुरक्षा मानक होंगे, जो इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएं।

(3) अद्यतन के प्रयोजनों से इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक यंत्र और अन्य सहायक सामग्री समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विहित विनिर्देशन के अनुरूप होंगी।

**38[19. आधार नंबर धारक की सूचना को अद्यतन करना.—**(1) कोई आधार नंबर धारक जो सीआईडीआर में उसकी सूचना को एक नामांकन केंद्र पर अद्यतित करना चाहता है, अनुसूची-1 में दिए गए

<sup>37</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>38</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो, में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अधिप्रमाणन करेगा और—

- (क) नामांकन केंद्र पर, मूल में, सत्यापन और स्कैन करने के लिए, पहचान का सबूत और पते का सबूत साक्षित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों और, जहां अनुप्रयोज्य हो, जन्म तिथि का सबूत या संबंध का सबूत या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा; या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्षित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण या सूचना की इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यक्षीन होगा।

(2) एक आधार नंबर धारक जो प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करके सीआईडीआर में उसकी सूचना को अद्यतित करना चाहता है—

- (क) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी ऐसे अद्यतीकरण के लिए वहाँ प्रावधानित ऑनलाइन प्रपत्र में भरना अपेक्षित हो; और
- (ख) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन पर, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्षित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड करेगा, या ऐसे सबूतों को साक्षित करने वाली सूचना को ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के डेटाबेसों के व्यवहारी प्राधिकारियों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा :

परन्तु यह कि ऐसा अपलोड करना या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यक्षीन होगी।

(3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि आधार नंबर धारक ने पूर्व में उसके संबंध में—

- (क) जन्म तिथि की सूचना एक बार;
- (ख) लिंग की सूचना एक बार; या
- (ग) नाम की सूचना दो बार,

अद्यतित की है तो ऐसी सूचना का अद्यतीकरण केवल ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(4) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी एक सूची अनुसूची-II में है।

(5) अद्यतीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में संग्रहित सूचना का सत्यापन अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उप-विनियम (1) के खंड (ख) या उप-विनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्षित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि—

- (क) केंद्रीय सरकार या एक राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी; या  
(ख) ऐसी सूचना या दस्तावेजों की तैयारी या अनुरक्षण से संबंधित किसी प्राधिकरण,  
की सहायता ऐसे सत्यापन के प्रयोजनार्थ ली जा सकेगी।

(6) ऑपरेटर, नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना संग्रहित करते समय, विनियम 11 के अंतर्गत एक नामांकन केंद्र पर नामांकन के लिए सूचना के संग्रहण के लिए अनुप्रयोज्य अपेक्षाओं का, यथायोग्य परिवर्तनों सहित, पालन करेगा।

(7) नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, ऑपरेटर आधार नंबर धारक को एक ऐसे नंबर से युक्त अभिस्वीकृति देगा जो उसे संग्रहित सूचना के प्रसंस्करण की स्थिति ज्ञात करने में समर्थ बनाए।]

**39[19क. अद्यतन डेटा का सत्यापन.—**<sup>40</sup>[आधार नंबर धारकों की विनियम 19 में यथा-निर्दिष्ट सूचना] अद्यतन करने की विधियों के माध्यम से अद्यतन डेटा का सत्यापन अनुसूची-III में दिये गए अनुसार होगा।]

**4120. शुल्क लगाना और एकत्रित करना.—**प्राधिकरण पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को <sup>42</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] शुल्क एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह राशि अधिनियम के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

## अध्याय-V

### पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य प्रदाताओं की नियुक्ति

**21.पंजीयकों की नियुक्ति.—**(1) पूरे देश में <sup>43</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] का नामांकन और अद्यतन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीयकों की नियुक्ति समझौता ज्ञापनों अथवा करारों के माध्यम से की जाएगी और इनमें वे संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य क्रम में <sup>44</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] से परस्पर

<sup>39</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 की संख्या 2), दिनांक 31.7.2018 की द्वारा विनियम 19क की प्रविष्टि की गयी।

<sup>40</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "विनियम 19 में निर्धारित निवासियों की जानकारी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>41</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 1), दिनांक 15.2.2017 की द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>42</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों से" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>43</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>44</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

संवाद करती है। पंजीयकों के रूप में नियुक्त होने वाली संस्थाएं हैं राज्य/संघ राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय और उनके अधीन विभाग/एजेंसियां, केंद्र/राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, <sup>45</sup>[अनुसूचित बैंकों] और नेशनल सिव्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यूटीआई इनफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेस लिमिटेड जैसी विनियमित संस्थाएं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड सहित केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए स्पेशल परपज व्हीकल। नियुक्ति होने पर प्रत्येक पंजीयक को एक पंजीयक कोड दिया जाएगा।

(2) पंजीयक क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) पंजीयक अपने द्वारा उपयोग में लाए जा रहे अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले परिसर में प्राधिकरण को युक्तियुक्त पहुंच की अनुमति प्रदान करेगा और पंजीयक अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्ति के कब्जे में रखी हुई किसी पुस्तक, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी देगा और वे दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री भी प्रदान करेगा, जो प्राधिकरण की राय में लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत है।

(4) पंजीयक नामांकन के दौरान संग्रह की गई सूचना का इस्तेमाल केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में अपलोड करने के सिवाए किसी अन्य प्रयोजन से नहीं करेगा।

(5) पंजीयक अपनी वेबसाइट पर संपर्क व्यक्ति के संपर्क ब्योरे और <sup>46</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] के लिए उपलब्ध सेवाओं सहित नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त सूचना का प्रदर्शन करेगा।

(6) पंजीयक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नामांकन और अद्यतन कार्यों के लिए नियोजित अथवा नियुक्त एजेंसी और/अथवा व्यक्ति सक्षम और उपयुक्त हैं और इस प्रकार नियोजित अथवा नियुक्त क्षमता में संगत व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा अनुभव रखते हुए अन्यथा अर्हता प्राप्त हैं।

(7) पंजीयक नामांकन एजेंसियों के नामांकन कार्यों को तीसरे पक्ष को संविदा के द्वारा देने की अनुमति नहीं देगा। पंजीयक क्षेत्र स्तर पर कार्मिकों को तीसरे पक्षकार से काम करवाने की अनुमति दे सकता है परंतु नामांकन एजेंसी उन संस्थाओं का ब्योरा उपलब्ध करवाएगी जिनसे इस प्रकार के कार्मिक लिए जाएंगे।

(8) पंजीयक इन विनियमों की अनुसूची-V में विहित आचार संहिता का हर हालत में पालन करेगा।

(9) पंजीयक प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए विवरणों सहित समय समय पर जारी प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों, जांचसूचियों, फॉर्मों और मसौदों का पालन करेगा और नामांकन एजेंसियों द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।

**22. इन विनियमों के प्रारंभ से पहले लगाए गए पंजीयक.—**(1) इन विनियमों के प्रारंभ से पहले लगाए गए पंजीयकों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समझा जाएगा :

<sup>45</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि -यूआईडीएआई (13) (2017 की संख्या 2), दिनांक 7.7.2017 की द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" को प्रतिस्थापित किया गया ।

<sup>46</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया ।

परंतु योजना आयोग, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन-1, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा उनके साथ किए गए करार उस सीमा तक प्रभावी रहेंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों और अन्य विनियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रक्रमणों, मानकों और विनिर्देशनों से असंगत न हों।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व लगे हुए किसी पंजीयक के इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक न रहने की इच्छा जाहिर करने की दशा में वह पंजीयक इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण को अवेदन कर सकता है और वह पंजीयक के पद से हट जाएगा और उसके पास नामांकन करने अथवा नामांकन के लिए नामांकन एजेंसियों को लगाने की शक्ति नहीं रह जाएगी।

**23. नामांकन एजेंसियों का पैनल बनाया जाना.—**(1) प्राधिकरण मुक्त पैनल अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों का पैनल बनाएगा और पैनल बनाने की पात्रता, निबंधन एवं शर्तें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

(2) इच्छुक एजेंसियां पैनल अनुरोध की पात्रता और अन्य तकनीकी और वित्तीय मापदंड पूरा करने पर पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

(3) प्राधिकरण एजेंसियों के आवेदन पत्रों का मूल्यांकन करेगा और पैनल अनुरोध की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के पश्चात् पात्र एजेंसी को नामांकन एजेंसियों के रूप में पैनल में शामिल कर सकता है।

(4) प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए पंजीयक किसी पैनल में शामिल नामांकन एजेंसी को केंद्रीय पहचान आंकड़ा भंडार में ऑनबोर्ड कर सकता है।

(5) प्राधिकरण पंजीयकों को जांच और करार की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसी एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों के रूप में लगाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है जैसा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए।

(6) नामांकन एजेंसी क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन और लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। नामांकन एजेंसी द्वारा स्वयं इस्तेमाल किए जाने वाले अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले परिसर में प्राधिकरण को युक्तियुक्त पहुंच की अनुमति प्रदान की जाएगी और नामांकन एजेंसी अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में रखी हुई किसी पुस्तक, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी दी जाएगी और वे दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री भी प्रदान करेगा जो प्राधिकरण की राय में लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत है।

(7) नामांकन एजेंसी नामांकन के दौरान संग्रह की गई सूचना का इस्तेमाल केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में अपलोड करने के सिवाए किसी अन्य प्रयोजन से नहीं करेगा।

(8) नामांकन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नामांकन और अद्यतन कार्यों के लिए नियोजित अथवा नियुक्त एजेंसी और/अथवा व्यक्ति सक्षम और उपयुक्त हैं और इस प्रकार नियोजित अथवा नियुक्त क्षमता में संगत व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा अनुभव रखते हुए अन्यथा अर्हता प्राप्त हैं।

(9) नामांकन एजेंसी इन विनियमों की अनुसूची-V में विहित आचार संहिता का हर समय पालन करेगा।

(10) नामांकन एजेंसी प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए विवरणों सहित समय-समय पर जारी प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों, जांचसूचियों, फॉर्मों और मसौदों का पालन करेगा।

(11) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल की गई नामांकन एजेंसियों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल समझा जाएगा।

**24. अन्य सेवा प्रदाता.—**(1) <sup>47</sup>[\*\*\*] नामांकन प्रक्रिया अथवा सूचना का अद्यतन से संबंधित किसी कार्य को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अन्य सेवा प्रदाताओं को लगाया जा सकता है।

(2) ऐसे सभी सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए विवरणों सहित समय समय पर जारी आदेशों, प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों, जांचसूचियों, फॉर्मों और मसौदों का और इन विनियमों की अनुसूची-V में दी गई यथा लागू आचार संहिता का पालन करेगा।

**25. नामांकन के लिए नियुक्त स्टाफ का परीक्षण और प्रमाणन.—**(1) प्रत्येक नामांकन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा नियोजित अथवा लगाए गए ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, और अन्य नामांकन स्टाफ प्राधिकरण द्वारा विहित प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन कार्य करने के लिए विधिवत प्रमाणित हैं।

(2) प्राधिकरण इस प्रयोजनार्थ परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों को नियत कर सकता है।

(3) प्राधिकरण ऐसे कार्मिकों को नामांकन की किसी प्रक्रिया में लगाए जाने के लिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, ऐसे कार्मिकों की विस्तृत भूमिका और उत्तरदायित्व हेतु न्यूनतम अर्हता तय कर सकता है।

**26. पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व और चूक की स्थिति में कार्रवाई.—**(1) पंजीयक, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाता तथा पर्यवेक्षक, ऑपरेटर अथवा उनके द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति अथवा एजेंसी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी समस्त विनियमों, प्रक्रमणों, मानकों, दिशानिर्देशों और आदेशों और अनुसूची-V में दी गई आचार संहिता का अनुपालन करेंगे।

(2) प्राधिकरण पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और ऑपरेटरों, पर्यवेक्षकों तथा नामांकन में लगे हुए अन्य कार्मिकों की निगरानी करेगा।

(3)<sup>48</sup>इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या किसी भी सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशानिर्देश या आदेश का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या सेवा प्रदाता या संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों को तत्काल निलंबित किया जा सकता है और उचित जांच के पश्चात् प्राधिकरण ऐसे रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध वित्तीय दण्डात्मक कार्रवाई करने और अधिनियम या इन विनियमों के अनुसरण में जारी किए गए क्रेडेंशियल, कोड और अनुमतियों को रद्द करने का कदम उठा सकता है या अन्य कोई कार्रवाई की जा सकती है, जो प्राधिकरण के साथ जुड़ने की शर्तों में विशेष रूप से उल्लिखित है।]

## अध्याय-VI

<sup>47</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" का लोप किया गया।

<sup>48</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 की संख्या 5), दिनांक 31.7.2017, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

## आधार नंबर और पहचान सूचना में चूक अथवा उसका निष्क्रियण

**49[26क. निर्वचन.—**इस अध्याय और अनुसूची-VI में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एक आधार नंबर के संबंध में, "रद्द करना" या "लोप करना" अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे आधार नंबर का लोप होना होगा, और उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे।]

**50[27. ऐसे मामले जिनमें आधार नंबर का लोप होगा.—**(1) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं, सबसे पहले समनुदेशित आधार नंबर प्रतिधारित किया जाएगा और सभी पश्चात्कर्ती आधार नंबरों का लोप किया जाएगा।

(2) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि आधार नंबर एक ऐसे व्यक्ति के लिए सृजित किया गया था जो नामांकन के समय—

(क) विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत बायोमेट्रिक अपवाद सहित नामांकन के लिए पात्र नहीं था परंतु जिसका नामांकन ऐसे अपवादों के निपटान की उसमें यथा-निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार किया गया था; या

(ख) पांच वर्ष का या उससे अधिक आयु का था परंतु उसका नामांकन बिना बायोमेट्रिक प्रग्रहण (कैप्चर) के किया गया था,

ऐसा आधार नंबर का लोप किया जाएगा।

(3) आधार नंबर धारक, अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अनुसूची VI में दिए गए प्रपत्र अनुसार, ऐसी आयु प्राप्त करने के छः महिनों की कालावधि के भीतर, आधार नंबर को रद्द करने के लिए प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को एक आवेदन दे सकता है और—

(क) उसकी पहचान को अधिप्रमाणन करके या ऐसे अन्य साधन द्वारा जिसे प्राधिकरण इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, स्थापित करने के पश्चात्; और

(ख) रद्दकरण के लिए उसके आवेदन के संबंध में संगत तथ्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ ऐसी प्रक्रिया जिसे प्राधिकरण उसकी वेबसाइट पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, का अनुसरण करने के पश्चात्,

और ऐसे आवेदन की प्राप्ति और खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति पर, प्राधिकरण, अपेक्षाओं की ऐसी पूर्ति की तारीख से तीन महिने की कालावधि के भीतर, उसके आवेदन पर निर्णय लेगा और, यदि वह ऐसे आधार नंबर धारक की रद्दकरण के लिए पात्रता के संबंध में संतुष्ट है तो, उसे रद्द कर देगा :

परंतु यह कि आधार (नामांकन और अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व रद्दकरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा इस विनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।]

<sup>49</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>50</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा विनियम 27 को प्रतिस्थापित किया गया।

**28. ऐसे मामले जहां आधार नंबर को निष्क्रिय किया जाएगा.—**(1) किसी आधार नंबर धारक का आधार नंबर निम्नलिखित परिस्थितियों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा :

- (क) फोटो पर फोटो और मुख्य बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध होना : जहां किसी नामांकन केंद्र पर नामांकन के लिए नया फोटोग्राफ खींचने के स्थान पर पहले से खिंचा हुआ फोटो इस्तेमाल किया गया है, और जहां <sup>51</sup>[आधार नंबर धारक] की मुख्य बायोमेट्रिक सूचना प्राप्त कर ली गई है वहां आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और <sup>52</sup>[आधार नंबर धारक] को अपना फोटोग्राफ अद्यतित करने के लिए कहा जाएगा। उसके फोटोग्राफ का सफलतापूर्ण अद्यतन होने पर आधार नंबर पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
- (ख) असत्य आंशिक बायोमेट्रिक अपवाद के मामले : जहां बायोमेट्रिक सूचना के कुछ घटकों को <sup>53</sup>[आधार नंबर धारक] द्वारा प्रदान किए जाने की स्थिति में होने के बावजूद भी नहीं लिया गया है वहां आधार नंबर निष्क्रिय किया जाएगा।
- (ग) जहां बाद के चरण में यह पाया जाता है कि नामांकन कार्य संगत दस्तावेजों के बिना किया गया है तो वहां आधार नंबर, आधार नंबर धारक द्वारा वैध संगत दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण तक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (घ) जहां ली गई सूचना की घटिया डाटा के रूप में पहचान कर ली गई है और इसका अद्यतन जरूरी है (जैसे मिश्रित/असंगत बायोमेट्रिक सूचना, <sup>54</sup>[जनसांख्यिकीय] सूचना में अनुचित/पूरक शब्द और अभद्र भाषा होना, उर्फ लगाकर एक ही नाम के कई नाम होना) वहां आधार नंबर, आधार नंबर धारक द्वारा अद्यतित किए जाने तक निष्क्रिय रहेगा।
- <sup>55</sup> [(ज)(i) जहाँ आधार नंबर धारक 5 या 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसके आधार नंबर में प्रथम अद्यतन के समय आवश्यक रूप से बायोमेट्रिक सूचना अद्यतित करनी अनिवार्य है।
- (ii) जहाँ आधार नंबर धारक जिसने 5 वर्ष या 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के दो वर्ष की अवधि तक वह अपनी बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन करने में असफल रहता है तो उसका आधार असक्रिय कर दिया जाएगा। आधार नंबर धारक को क्रमशः 7 वर्ष या 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक निःशुल्क बायोमेट्रिक सूचना अद्यतन करने की सुविधा प्राप्त होगी। तत्पश्चात् आधार नंबर धारक अपने आधार नंबर को अपनी बायोमेट्रिक्स सूचना अद्यतन कराकर सक्रिय कर सकता है। तथापि आधार नंबर धारक को बायोमेट्रिक सूचना अद्यतन कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू प्रभारों का भुगतान करना होगा।

<sup>51</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>52</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>53</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>54</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी की जनसांख्यिकीय" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>55</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16041/4/2021/-ईयू-1-एचक्यू-भाग(1)(2022 का संख्या 2), दिनांक 3.3.2022, के द्वारा विनियम 28(1)(ज) को प्रतिस्थापित किया गया।

(iii) आधार नंबर धारक द्वारा बायोमेट्रिक को अद्यतन नहीं कराने पर भी आधार नंबर को हटाया नहीं किया जाएगा और आधार नंबर असक्रिय अवस्था में रहेगा।]

(च) ऐसा कोई अन्य मामला जहां निष्क्रियण प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(2) निष्क्रियकरण हो जाने पर प्राधिकरण द्वारा आधार नंबर धारक को दी जाने वाली सेवाएं अस्थायी रूप से तब तक बंद कर दी जाएगी, जब तक आधार नंबर धारक वैसी सूचनाओं, जिसके कारण उसका आधार नंबर प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया हो, को अद्यतित या शुद्ध कर लेता है।

**56[28क. कुछ आधार नंबरों का निष्क्रियण.—**विनियमन 28 में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी ऐसे विदेशी नागरिक के संबंध में जो नामांकन चाहता है या जो आधार संख्या धारक है, आधार संख्या को निष्क्रिय किया जा सकता है,—

(क) भारत में रहने के लिए उनके वीजा की वैधता की अवधि समाप्त होने पर; या

(ख) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि ऐसा विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश या रहने के लिए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और गृह मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में <sup>57</sup>[समय-समय पर, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) और उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश और दिए गए निर्देश, या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम] जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है।”]

**29. लोप अथवा निष्क्रियण वाले मामलों की जांच.—**(1) <sup>58</sup>[किसी मामले जिसे लोप या निष्क्रियण की आवश्यकता वाले संभावित मामले के रूप में प्रतिवेदित किया जाए या पहचाना जाए, के लिए मैदानी जांच जिसमें उन व्यक्तियों जिनके आधार नंबरों का लोप या निष्क्रियण किया जाना हो की सुनवाई सम्मिलित हो सकती है, या अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) के अंतर्गत निरीक्षण, जांच या संपरीक्षा, की आवश्यकता हो सकती है।]

<sup>59</sup>[बशर्ते कि विनियम 28(1)(ज) के अनुसार बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए जाने के कारण असक्रिय करने पर ऐसी कोई भी जांच अपेक्षित नहीं होगी।]

<sup>60</sup>[(1क) उप-विनियम (1) में यथा-निर्दिष्ट जांच के अनुसरण में, आधार नंबर और उससे संबंधित सूचना का लोप या उसे निष्क्रिय करने के लिए, प्राधिकरण उसके कब्जे या नियंत्रण में आधार नंबर धारक की सूचना, जिसमें सीआईडीआर में संग्रहित सूचना भी है, तक पहुंच दे सकता है या उसका उपयोग कर सकता है या उसको प्रकट कर सकता है :

<sup>56</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022- विधि -एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023 , के द्वारा “कुछ आधार नंबरों का निष्क्रियण” का प्रविष्टि किया गया।

<sup>57</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>58</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>59</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-1-एचक्यू-भाग(1)(2022 का संख्या 2), दिनांक 3.3.2022, के द्वारा प्रविष्टित किया गया।

<sup>60</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा उप-विनियम 1(क) अंतःस्थापित किया गया।

- परंतु यह कि सूचना तक ऐसी पहुंच या उसका ऐसा उपयोग या प्रकटन धारा 29 की उप-धारा (1), (2) और (4) के अंतर्गत सूचना साझा करने के निर्बंधन के अधधीन होगा।]
- (2) प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामित किसी एजेंसी द्वारा यथा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी जांच कर रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाएगी।
- (3) प्राधिकरण रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है और प्राधिकरण के पास आधार नंबर का लोप अथवा निष्क्रियण करने के निर्णय लेने का अधिकार होगा।

**30. आधार नंबर धारक को संसूचना.—**(1) आधार नंबर धारक को एसएमएस, पंजीकृत ई-मेल आईडी, टेलीकॉलिंग, पत्र अथवा प्राधिकरण द्वारा उचित समझ गए किसी माध्यम से उसके आधार नंबर के लोप अथवा निष्क्रियण होने के कारण सहित सूचना दी जाएगी।

<sup>61</sup>[बशर्ते कि बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए जाने के कारण असक्रिय करने पर उपर्युक्त की आवश्यकता नहीं होगी।

आगे बशर्ते कि बच्चे के आधार नंबर को आवश्यक बायोमेट्रिक सूचना को अद्यतन न कराए पर असक्रिय करने संबंधी ब्योरा यूआईडीएआई पोर्टल पर उपलब्ध होगा जहां से आधार नंबर धारक अपनी सूचना को सत्यापित कर सकता/सकती है।]

(2) ऐसे लोप अथवा निष्क्रियण के संबंध में किसी आधान नंबर धारक की शिकायत का निवारण प्राधिकरण द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के द्वारा किया जाएगा।

**31. सुधारात्मक कार्रवाई.—**(1) कई आधार नंबर हो जाने से भिन्न कारणों से आधार नंबर का लोप होने की स्थिति में <sup>62</sup>[संबंधित व्यक्ति] को पुनः नामांकन करना होगा।

(2) निष्क्रियण होने की स्थिति में <sup>63</sup>[आधार नंबर धारक] को प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों अथवा नीतियों के अनुरूप अपनी पहचान सूचना को अंशतः अथवा पूर्णतः अद्यतित करना होगा।

## अध्याय-VII शिकायत निवारण तंत्र

**32. शिकायत निवारण के लिए संपर्क केंद्र स्थापित करना.—**(1) प्राधिकरण एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा जो <sup>64</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] के प्रश्नों और शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करेगा। <sup>65</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारक] इस

<sup>61</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-1-एचक्यू-भाग(1)(2022 का संख्या 2), दिनांक 3.3. 2022, के द्वारा प्रविष्टित किया गया।

<sup>62</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>63</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>64</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>65</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

केंद्र पर प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा यथा विहित विधि के अनुसार टॉल-फ्री नंबर और अथवा ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

(2) संपर्क केंद्र :

(क) प्रश्नों अथवा शिकायतों को दर्ज करने और मामले के समापन तक उसकी निगरानी करने के लिए <sup>66</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारक] को विशिष्ट रेफरेंस नंबर देने की व्यवस्था की जाएगी,

(ख) यथा संभव क्षेत्रीय भाषा में सहायता प्रदान की जाएगी,

(ग) <sup>67</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] से उनकी पहचान सूचना के संबंध में प्राप्त किसी सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा,

(घ) प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रियाओं और प्रक्रमणों का अनुपालन करेगा।

(3) <sup>68</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारक] प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित विधि के अनुसार किसी अन्य अधिकारी अथवा चैनल को अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

## अध्याय-VIII विविध

**33. व्यावृत्ति.—**भारत सरकार के योजना आयोग के दिनांक 28 जनवरी 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 के माध्यम से स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा अथवा अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना पूर्व जारी सभी कार्यपद्धति, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक तथा नीतियों अथवा हस्ताक्षर किए सभी समझौता ज्ञापन, करार अथवा सविदाएं उस सीमा तक लागू रहेंगी, जबतक कि वे अधिनियम के उपबंधों तथा तत्संबंध तैयार किए गए अधिनियम अथवा विनियम के तहत असंगत सिद्ध न हो जाएं।

**34. नीतियां, प्रक्रियां दस्तावेज आदि जारी करने संबंधी शक्तियां.—**प्राधिकरण इन विनियमों के अनुरूप संगत नीतियां, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक, विनिर्देशन तथा अन्य दस्तावेज जारी कर सकता है, जिन्हें इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है अथवा जिनके लिए इन विनियमों को प्रभावी बनाने हेतु उपबंध किया जाना अनिवार्य है।

**35. स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देशों को जारी करने की शक्ति तथा कठिनाईयों का निराकरण.—**इन विनियमों के अनुप्रयोग अथवा निर्वचन से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने अथवा इस विनियमों के

<sup>66</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>67</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>68</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.1.2024 (प्रभावी दिनांक 27.1.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

कार्यान्वयन में किन्हीं कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए, प्राधिकरण परिपत्र के रूप में स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

**69[36. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात करना.—**(1) कोई भी कार्य या बात जो इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा की जानी है या की जा सकती है, वह प्राधिकरण के किसी ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेगी जिसे प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संबंधित शक्ति या कृत्य प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण यह निश्चित कर सकता है कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या काम उक्त उप-विनियम में यथा संदर्भित प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं।”]

#### 70[अनुसूची-1

[विनियम 9,10(1), 16क और 19(1) देखें]

#### प्रपत्र 1: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

(क) निवासी भारतीय, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतीकरण
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> निवासी भारतीय या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) [इस प्रपत्र के नीचे घोषणा का पैरा 1(ग) देखें]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें): (क) नाम : <i>(कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)</i> (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (घ) ईमेल : <input type="text"/> (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) (क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : <input type="text"/> सड़क : <input type="text"/> भूमि-चिह्न (लैंडमार्क) : <input type="text"/> वार्ड नंबर : <input type="text"/> क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : <input type="text"/> गांव/नगर/शहर : <input type="text"/> डाकघर (अनिवार्य) : <input type="text"/> पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> उप-जिला : <input type="text"/> जिला : <input type="text"/> राज्य : <input type="text"/>

69 अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-विधि-एचक्यू(अ), दिनांक 29.9.2023, द्वारा प्रविष्टि किया गया।

70 अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16.1.2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (ii) पते का सबूत (पीओए) : (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
6	<b>एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>	
	(क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) नाम : आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	(ii) आवेदक से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) : <input type="checkbox"/> पति या पत्नी <input type="checkbox"/> संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) <input type="checkbox"/> भाई या बहन	
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	
	मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।	
	एचओएफ के हस्ताक्षर :	
7	<b>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>	
	(क) आवेदक का आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
	<b>घोषणा</b>	
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और (ग) मैं भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हूँ या मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।	
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
	4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :
	सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

\* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

### प्रपत्र 1 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	उद्देश्य	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी,	अनिवार्य

		थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिअस(उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि आवेदक एनआरआई है और उसके पास भारत में पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 2 का प्रयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट एकमात्र स्वीकार्य पीओआई है।	अनिवार्य
6	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक सरंक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	अद्यतीकरण के लिए अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

**नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस**

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

**प्रपत्र 2: आधार नामांकन और अद्यतीकरण**

**भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीयों (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए**

*कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।*

<b>1</b>	<b>प्रयोजन :</b> <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
<b>2</b>	<b>जनसांख्यिकीय सूचना</b> (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : (क) नाम : <i>{कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}</i> (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) <i>(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</i> (घ) ईमेल (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> (ड) मोबाइल नंबर : <input type="text"/>
<b>3</b>	<b>नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :</b> <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
<b>4</b>	<b>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b> <i>(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</i> (क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है) : <input type="text"/>  (ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : <i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i> (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत (पीओए) : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
<b>5</b>	<b>एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b> (क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) नाम : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (ii) आवेदक से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक <i>अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) :</i> <input type="checkbox"/> पति या पत्नी <input type="checkbox"/> संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) <input type="checkbox"/> भाई या बहन (ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार : <i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i> मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।

एचओएफ के हस्ताक्षर :

**6 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :**

(क) आवेदक का आधार नंबर :

(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :  बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस)  नाम  जन्म तिथि  
 लिंग  पता  मोबाइल  ईमेल  पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण

**घोषणा**

1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—

(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;

(ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और

(ग) मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।

2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।

4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप\* :

सत्यापनकर्ता का नाम :

तारीख और समय :

\* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

**नोट :** इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

**प्रपत्र 2 भरने के लिए अनुदेश**

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिअस (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का <input type="checkbox"/> करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य <input type="checkbox"/>
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक

		(2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई और पीओए है।	अनिवार्य
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

**नोट :** आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

### प्रपत्र 3: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

**(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए**

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> भारतीय निवासी या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) (इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें)
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : <b>(क) नाम :</b> <i>(कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)</i> <b>(ख) लिंग :</b> <input type="checkbox"/> महिला <b>(ग) जन्म तिथि :</b> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या <b>आयु :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) <b>(घ) ईमेल :</b> <input type="text"/> <b>(ङ) मोबाइल नंबर :</b> <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : <i>(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</i> <b>(क) पता :</b> द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : <input type="text"/> सड़क/रोड/लेन : <input type="text"/> भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : <input type="text"/> वार्ड नंबर : <input type="text"/> क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : <input type="text"/> गांव/नगर/शहर : <input type="text"/> डाकघर (अनिवार्य) : <input type="text"/> पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> उप-जिला : <input type="text"/> जिला : <input type="text"/> राज्य : <input type="text"/> <b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :</b> <i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i> (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : <input type="checkbox"/> (ii) पते का सबूत (पीओए) : <input type="checkbox"/> (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) : <input type="checkbox"/>
6	एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : <b>(क) एचओएफ के ब्यौरे :</b> (i) नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (ii) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक <b>(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :</b> <i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i> मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए। एचओएफ के हस्ताक्षर : <input type="text"/>
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना : <b>(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :</b> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण
<b>घोषणा</b>	
1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है। 2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	

3.	मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।		
4.	मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।		
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :		माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :	
सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :	

### प्रपत्र 3 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
3	<b>जनसांख्यिकीय सूचना :</b>		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	<b>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका एनआरआई है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 4 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य	अनिवार्य

		पीओआई है।	
6	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

### प्रपत्र 4: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : (क) नाम : (कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें) (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (घ) ईमेल (अनिवार्य) : (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/>
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है) :

	<b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत (पीओए) : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
<b>5</b>	<b>एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>	
	<b>(क) एचओएफ के ब्यौरे :</b>	(i) नाम : आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(ii) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक	
	<b>(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।	
	एचओएफ के हस्ताक्षर :	
<b>6</b>	<b>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>	
	<b>(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :</b> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
	<b>घोषणा</b>	
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।	
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
	4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :
	सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम : तारीख और समय :

**नोट :** इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

#### प्रपत्र 4 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द	अनिवार्य

		( <i>ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि ( <i>डीओबी</i> ) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत ( <i>पीडीबी</i> ) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि ( <i>डीओबी</i> ) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस/टेक्स्ट</i> संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	<i>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</i>		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> है।	अनिवार्य
5	<i>एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</i>		
(क)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) <i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत ( <i>पीओआर</i> ) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	<i>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</i>		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	<i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के	₹ [*/]

साक्ष्य) का अद्यतीकरण
-----------------------

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

### प्रपत्र 5: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> भारतीय निवासी या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) [इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : <b>(क) नाम :</b> <i>(कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)</i> <b>(ख) लिंग :</b> <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक <i>(ट्रांसजेंडर)</i> <b>(ग) जन्म तिथि :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या <b>आयु :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित <i>(केवल आयु के लिए)</i> <i>(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</i> <b>(घ) ईमेल :</b> <input type="text"/> <b>(ङ) मोबाइल नंबर :</b> <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : <i>(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</i> <b>(क) पता :</b> द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : <input type="text"/> सड़क/रोड/लेन: <input type="text"/> भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : <input type="text"/> वार्ड नंबर : <input type="text"/> क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : <input type="text"/> गांव/नगर/शहर : <input type="text"/> डाकघर (अनिवार्य) : <input type="text"/> पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> उप-जिला : <input type="text"/> जिला : <input type="text"/> राज्य : <input type="text"/> <b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :</b> <i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i> (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : <input type="checkbox"/> (ii) पते का सबूत (पीओए) : <input type="checkbox"/> (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) : <input type="checkbox"/>
6	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : <b>(क) एचओएफ के ब्यौरे :</b> (i) माता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> और/या (ii) पिता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> (iii) यदि केवल एक माता-पिता का ब्यौरा दिया गया <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं है, तो क्या अन्य माता-पिता वर्तमान में <input type="checkbox"/> बालक/बालिका के साथ नहीं रह रहे हैं: <input type="checkbox"/> या (iv) विधिक संरक्षक का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> (v) बालक/बालिका से <input type="checkbox"/> माता और/या <input type="checkbox"/> पिता या <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक संबंध : <input type="checkbox"/>

<b>(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)			
मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।			
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
<b>7 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>			
<b>(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :</b> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण			
<b>घोषणा</b>			
1. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।			
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।			
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।			
4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।			
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
सत्यापनकर्ता का नाम :		हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	
		तारीख और समय :	

### प्रपत्र 5 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
3	<b>जनसांख्यिकीय सूचना :</b>		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्टूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	अनिवार्य

		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	<b>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका एनआरआई है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 6 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई है।	अनिवार्य
6	<b>एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	<b>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसेंस) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर)	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क

	या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

### प्रपत्र 6: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए  
कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	<b>जनसांख्यिकीय सूचना</b> (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : <b>(क) नाम :</b> (कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें) <b>(ख) लिंग :</b> <input type="checkbox"/> महिला <b>(ग) जन्म तिथि :</b> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या <b>आयु :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) <b>(घ) ईमेल :</b> <input type="text"/> <b>(ङ) मोबाइल नंबर :</b> <input type="text"/>
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
4	<b>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b> (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) <b>(क) पता (वैध पासपोर्ट के अनुसार) :</b> <input type="text"/> <b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत (पीओए) : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) : <input type="text"/>
5	<b>एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b> <b>(क) एचओएफ के ब्यौरे :</b> (i) माता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> और/या (ii) पिता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (iii) यदि केवल एक माता या पिता का ब्यौरा दिया गया है तो, दूसरा वर्तमान में बालक/बालिका के साथ रह रहा है या नहीं : <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं या (iv) विधिक संरक्षक का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (v) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता और/या <input type="checkbox"/> पिता या <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक <b>(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।

हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
<b>6 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>			
<b>(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :</b> <input type="text"/>			
<b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :</b> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण			
<b>घोषणा</b>			
1. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।			
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।			
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।			
4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।			
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
सत्यापनकर्ता का नाम :		हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

**नोट :** इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

### प्रपत्र 6 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	<b>जनसांख्यिकीय सूचना :</b>		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में उनका नाम हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्टूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

	आधार		
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार विवरण दर्ज करें। (2) आधार पत्र दर्ज पते पर भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) <i>एनआरआई</i> के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> है।	अनिवार्य
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत ( <i>पीओआर</i> ) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	<i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

\* जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिधान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

**नोट :** आवेदक के विदेशी सहायकों को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसे शुल्क देय होंगे जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकता है।

### प्रपत्र 7: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

#### निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष या अधिक आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	राष्ट्रीयता :
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :

<b>(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा :</b>		(i) पासपोर्ट नंबर :	
(ii) पासपोर्ट की समाप्ति की तारीख :	<input type="text"/>	(DDMMYYYY)	(iii) भारत में प्रवेश की तारीख :
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			(DDMMYYYY)
और			
<b>(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक (ओसीआई) का ब्यौरा :</b>		(i) ओसीआई नंबर :	
(ii) ओसीआई कार्ड जारी होने की तारीख :	<input type="text"/>	(DDMMYYYY)	(iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर :
<input type="text"/>			<input type="text"/>
या			
<b>(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) का ब्यौरा :</b>		(i) एलटीवी नंबर :	
(ii) एलटीवी जारी होने की तारीख :	<input type="text"/>	(DDMMYYYY)	(iii) एलटीवी समाप्ति की तारीख :
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			(DDMMYYYY)
या			
<b>(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा :</b>		(i) वीजा प्रकार/श्रेणी :	
(ii) जारी करने की तारीख :	<input type="text"/>	(DDMMYYYY)	(iii) जारी करने की तारीख :
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			(DDMMYYYY)
या			
<b>(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा :</b>		(i) वीजा प्रकार/श्रेणी :	
(iii) समाप्ति की तारीख :	<input type="text"/>	(DDMMYYYY)	(iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर :
<input type="text"/>			<input type="text"/>
या			
<i>या, विदेशी पासपोर्ट सहित ओसीआई/एलटीवी/वीजा के विकल्प में, केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए :</i>			
<b>(ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेजों के प्रकार :</b>			
<i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i>			
(i) पहला पीओआई दस्तावेज :		(ii) दूसरा पीओआई दस्तावेज :	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>4 जनसांख्यिकीय सूचना</b> <i>(अद्यतीकरण के लिए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद्यतन किया जाना है) :</i>			
<b>(क) नाम :</b>			
<i>(कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)</i>			
<b>(ख) लिंग :</b> <input type="checkbox"/> महिला		<b>(ग) जन्म तिथि :</b> <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> पुरुष		(DDMMYYYY) या <b>आयु :</b> <input type="text"/> वर्ष	
<input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर)		<input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित <i>(केवल आयु के लिए)</i>	
<i>(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</i>			
<b>(घ) ईमेल</b> <i>(अनिवार्य) :</i>		<b>(ङ) मोबाइल नंबर :</b> <input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>5 नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :</b> <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि			
<b>6 दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>			
<i>(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</i>			
<b>(क) पता :</b>		द्वारा <i>(ऐच्छिक) :</i>	
मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		सड़क :	
भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क) :</i>		वार्ड नंबर :	
गांव/नगर/शहर :		क्षेत्र / इलाका / सेक्टर :	
उप-जिला :		डाकघर <i>(अनिवार्य) :</i>	
<input type="text"/>		पिन कोड <i>(अनिवार्य) :</i> <input type="text"/>	
<input type="text"/>		जिला :	
<input type="text"/>		राज्य :	
<b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार :</b>		(i) पहचान का सबूत <i>(पीओआई) :</i>	
<i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i>		(ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i>	
<input type="text"/>		(iii) जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी) (ऐच्छिक) :</i>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>7 एचओएफ- आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>			
<b>(क) एचओएफ का ब्यौरा :</b>		(i) नाम :	
<input type="text"/>		आधार नंबर : <input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
(ii) आवेदक से संबंध :		<input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक सरंक्षक	
<i>अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) :</i>		<input type="checkbox"/> पति/पत्नी <input type="checkbox"/> प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> <input type="checkbox"/> भाई या बहन	

<b>(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :</b> (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित " स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची " देखें)	
मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।	
एचओएफ के हस्ताक्षर :	
<b>8 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>	
<b>(क) आवेदक का आधार नंबर :</b> <input type="text"/>	
<b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :</b> <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
<b>घोषणा</b>	
1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और (ग) मैं एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हूँ।	
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

\* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

### प्रपत्र 7 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(क) के साथ (ख), (ग) या (घ), या नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए, (ङ) ये अनिवार्य है
(ख)	वैध ओसीआई कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	
(ग)	वैध एलटीवी का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	
(घ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	
(ङ)	प्रस्तुत किए गए 2 पीओआई दस्तावेजों के प्रकार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	
4	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिस (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य

(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरा भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	₹ [*]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

### प्रपत्र 8: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

## निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

<b>1</b>	<b>प्रयोजन:</b>	<input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन	
<b>2</b>	<b>राष्ट्रीयता:</b>		
<b>3</b>	<b>राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :</b>		
	<b>(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा :</b>	(i) पासपोर्ट नंबर :	
	(ii) पासपोर्ट समाप्ति की तारीख :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	(iii) भारत में प्रवेश की तारीख :
		<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	और		
	<b>(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड का ब्यौरा :</b>	(i) ओसीआई नंबर :	
	(ii) ओसीआई कार्ड जारी होने की तारीख :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	(iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर :
		<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	या		
	<b>(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) का ब्यौरा :</b>	(i) एलटीवी नंबर :	
	(ii) एलटीवी जारी होने की तारीख :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	(iii) एलटीवी समाप्ति की तारीख :
		<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	या		
	<b>(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा :</b>	(i) वीजा प्रकार/श्रेणी :	(ii) जारी करने की तारीख :
		<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	(iii) समाप्ति की तारीख :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	(iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर :
		<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	या , ओसीआई/एलटीवी/वीजा के साथ विदेशी पासपोर्ट के विकल्प के रूप में, केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए :		
	<b>(ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान सबूत (पीओआई) दस्तावेजों के प्रकार :</b>		
	<i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित " स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची " देखें )</i>		
	(i) पहला पीओआई दस्तावेज :	(ii) दूसरा पीओआई दस्तावेज :	
	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	
<b>4</b>	<b>जनसांख्यिकीय सूचना</b> (अद्यतीकरण के लिए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद्यतन किया जाना है) :		
	<b>(क) नाम :</b>		
	<i>(कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)</i>		
	<b>(ख) लिंग :</b> <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर)	<b>(ग) जन्म तिथि :</b> <input type="text" value="DDMMYYYY"/>	या <b>आयु :</b> <input type="text" value="DDMMYYYY"/> वर्ष
		<input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए)	
		<i>(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</i>	
	<b>(घ) ईमेल (अनिवार्य) :</b>	<b>(ङ) मोबाइल नंबर :</b>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	
<b>5</b>	<b>नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :</b> <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि		
<b>6</b>	<b>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>		
	<i>(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</i>		
	<b>(क) पता :</b> द्वारा (ऐच्छिक) :		
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		सड़क :
	भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका / सेक्टर :
	गांव/नगर/शहर :	डाकघर (अनिवार्य) :	पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text" value="DDMMYYYY"/>
	उप-जिला :	जिला :	राज्य :
	<b>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार :</b>	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) :	
	<i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन</i>	(ii) पते का सबूत (पीओए) :	

	केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
<b>7</b>	<b>एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</b>	
(क) एचओएफ का ब्यौरा :	(i) नाम :	आधार नंबर : <input type="text"/>
(ii) बालक/बालिका से संबंध :	<input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक	
(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित " स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची " देखें)	
मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।		
एचओएफ के हस्ताक्षर :		
<b>8</b>	<b>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</b>	
(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :	<input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
<b>घोषणा</b>		
1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और (ग) बालिका/बालक एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है।		
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।		
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।		
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।		
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :	
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :	

### प्रपत्र 8 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	(क) के साथ (ख),
(ख)	वैध ओसीआई कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	(ग) या (घ),
(ग)	वैध एलटीवी का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	या
(घ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	नेपाल और भूटान

(ड)	प्रस्तुत किए गए 2 पीओआई दस्तावेजों के प्रकार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	के नागरिकों के लिए, (ड) ये अनिवार्य है
4	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, धिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ड)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

### नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए फीस

क्र. सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*/]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	₹ [*/]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]

4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [१]
---	---	-------

\* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

## 71 [अनुसूची-II]

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

### नामांकन और अद्यतीकरण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची			
✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है			
● नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल एनआरआई के लिए लागू)	✓	✓
3.	विधिक संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	✓	X
● नामांकन प्रकार II : दस्तावेज आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज
4.	अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा यूआईडीएआई के मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)।	✓	✓
● भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज			
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	X*
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।	✓	X*

<sup>71</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	X*
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : क. नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र ख. 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरत के लिए, भारत नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाण-पत्र	✓	X*

\* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते का सबूत के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

**नोट:** उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

### महत्वपूर्ण नोट :

- क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (*एनआरआई*) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया (*एचओएफ*) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।
- घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- ङ) *पीओआर* दस्तावेज में बालक/बालिका और *एचओएफ* के नाम उल्लेख होना चाहिए।
- च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।
- ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

- ज) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा ।
- ट) एचओएफ को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
- भारतीय पासपोर्ट
  - केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
  - केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
  - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची					
✓ का अर्थ स्वीकार्य है      X का अर्थ अस्वीकार्य है					
क्र.सं	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
6.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓
7.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓

8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✓	✓	X	X
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।	✓	✓	✓	X
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता-प्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मार्क-शीट / प्रमाण-पत्र	✓	X	✓	✓
13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	X	X
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓

15.	यूआईडीएआई मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद्	X	✓	X	X
	राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए' / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✓	X	X
	तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✓	X	X
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X	X
	अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)	✓	✓	X	X
	संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X
	ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X

18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	X	✓	X	X
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	X	✓	X	X
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X	X
23.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✓	✓
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✓	X
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	X
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
<b>भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज</b>					
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महीनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध <i>ओसीआई</i> कार्ड	✓	X	X	X

28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	X	X
29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सबूत पत्र	✓	X	X	X
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✓	X	X	X
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई) कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	X	✓	X	X

**नोट:** उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

### **महत्वपूर्ण लेख:**

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) पीओआर दस्तावेज में बालक/बालिका और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।

- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।
- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- (ट) एचओएफ को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
- भारतीय पासपोर्ट
  - केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
  - केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
  - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची					
✓ का अर्थ स्वीकार्य है      X का अर्थ अस्वीकार्य है					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓ *
2.	पैन कार्ड / ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है।	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X

6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓ *
7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓ *
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	X	X
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✓	✓	X	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	X
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाण-पत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाण-पत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	X
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाण-पत्र।	✓	✓	✓	X
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी)	✓	X	X	X
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाण-पत्र	✓	X	✓	✓ *

16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	X	X
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	X	✓	X	X
18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित) / डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	X	✓	X	X
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓ *
20.	यूआईडीएआई मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	X	✓	X	X
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✓	X	X
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✓	X	X
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✓	✓	X	X

	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बालकों/बालिकाओं के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	✓	✓	X	X
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार / पट्टा करार / अवकाश और लाइसेंस करार	X	✓	X	X
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X	X
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✓	✓
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✓	X
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	X

32.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल एचओएफ के पते के मामले में वैध (केवल एचओएफ के इमिडिएट परिवार के सदस्य/सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	X	X	✓	X
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
<b>भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज</b>					
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	X	X	X
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	X	X
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं :- (क) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	✓	X	X	X
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है	✓	X	X	X
38.	विदेशी नागरिक को विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारकों, एलटीवी दस्तावेज धारकों और नेपाल / भूटान नागरिकों को छोड़कर)	X	✓	X	X
<b>नाम, लिंग और जन्म तिथि (डीओबी) के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज</b>					

39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित पुराने नाम के किसी समर्थनकारी पीओआई दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक की डिक्री / गोद लेने का प्रमाण-पत्र / विवाह प्रमाण-पत्र के सहित	✓	X	X	X
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र	✓	X	X	X
41.	जन्म तिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	X	✓

**नोट:** उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामतः —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

### महत्वपूर्ण लेख:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) \* 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ग) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।
- (घ) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।
- (ङ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते हैं।

- (ज) पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।
- (झ) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।
- (ञ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- (ट) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) के मामले में आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, पहली बार पूर्ण नाम अद्यतन के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जो उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए आधार अपडेट केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।
- (ड) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ढ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ण) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।
- (त) जन्म तिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें - [\*/]
- (थ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - [\*/]
- (द) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।
- (ध) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) ;]

<sup>72</sup>[अनुसूची III  
[विनियम 10(4) और 19क देखें]

**नामांकन और अद्यतन सूचना का सत्यापन**

सूचना	फील्ड	अपेक्षित सत्यापन?	सत्यापन*
व्यक्तिगत ब्यौरा	नाम	जी हां	पहचान के प्रमाण का कोई भी दस्तावेज। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए परिवार का मुखिया।
	जन्मतिथि	.....  जी हां	जन्मतिथि (डीओबी) सत्यापित है या नहीं यह इंगित करने के लिए एक फ्लैग लगाया जाए। यदि जन्मतिथि (डीओबी) सत्यापित (लगभग/घोषित) नहीं है, तो जन्म के वर्ष को प्रदर्शित किया जाएगा। जन्मतिथि के अद्यतन की अनुमति केवल सत्यापन पर दी जाती है। 01.10 और उसके बाद जन्में व्यक्ति के लिए नामांकन और अद्यतन के संबंध में जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
	लिंग	जी नहीं	-- अद्यतन की अनुमति केवल सत्यापन पर दी जाती है।

<sup>72</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022- विधि -एचक्यू(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023, के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

पते का ब्यौरा	आवासीय पता (आधार पत्र की डिलीवरी और अन्य पत्राचार के लिए)	जी हां	पते के प्रमाण का कोई दस्तावेज। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए परिवार का मुखिया।
माता- पिता/संरक्षक का ब्यौरा	माता/पिता/संरक्षक / पति/पत्नी का नाम	सशर्त	व्यस्कों के मामले में पिता/पति/ संरक्षक का सत्यापन नहीं। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, पिता/माता/संरक्षक का नाम, आधार नंबर और बायोमेट्रिक सूचना (कोई भी एक तरीका) अधिप्रमाणन के लिए कैप्चर की जाएगी। व्यस्को के लिए, पिता/पति/संरक्षक या माता/पत्नी/संरक्षक का नाम वैकल्पिक है।
	माता/पिता/संरक्षक / पति/पत्नी की नामांकन आईडी/आधार नंबर		
एचओएफ का ब्यौरा	एचओएफ का नाम	जी हां	फार्म पर एचओएफ का नाम, यूआईडी अधिप्रमाणन के लिए कैप्चर एचओएफ बायोमेट्रिक्स (कोई भी एक तरीका)
	एचओएफ की यूआईडी		
संपर्क ब्यौरा	मोबाइल नंबर	जी नहीं	-----
	ईमेल पता	जी नहीं	-----

टिप्पणी: दस्तावेज के स्थान पर अपेक्षित प्रमाण का साक्ष्य देने वाली इलेक्ट्रॉनिकी सूचना भी स्वीकार्य है।

\* सत्यापन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी की सहायता ली जा सकती है।।

### 73[अनुसूची IV \*\*\*\*]

#### अनुसूची - V सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता

1. सेवा प्रदाता <sup>74</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारक] के हितों की संरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
2. सेवा प्रदाता <sup>75</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] के आधार नामांकन और अद्यतन कार्यों में उच्च स्तरीय नैतिकता, सत्यनिष्ठा, गरिमा और शुद्धता बनाए रखेगा।
3. सेवा प्रदाता अपने दायित्वों का तत्परता, नैतिकता और पेशेवर ढंग से निर्वहन करेगा।
4. सेवा प्रदाता हर समय पूरी सतर्कता बरतेगा, पूर्णतः ध्यान रखेगा और स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के साथ काम करेगा।

<sup>73</sup> अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि -यूआईडीएआई (13) (2018 की संख्या 2), दिनांक 31 जुलाई, 2018 की द्वारा अनुसूची -IV को विलोपित किया गया।

<sup>74</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासी" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>75</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

5. सेवा प्रदाता उन स्थिति के सिवाए, जहां सूचना का प्रकटन इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुपालन हेतु अपेक्षित है <sup>76</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] के बारे में उसके संज्ञान में आई किसी गोपनीय सूचना का मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः खुलासा नहीं करेगा।
6. सेवा प्रदाता किसी अनुचित व्यवहार में लिप्त नहीं होगा।
7. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि <sup>77</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] की शिकायतों का निवारण समय पर और उपयुक्त विधि से हो।
8. सेवा प्रदाता दुर्व्यपदेशन को दूर करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि <sup>78</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] को दी गई सूचना भ्रामक न हो।
9. सेवा प्रदाता इस अधिनियम के उपबंधों, सरकार और प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी यथा लागू नियमों, विनियमों का पालन करेगा।
10. सेवा प्रदाता प्राधिकरण को दिए गए किसी दस्तावेज, रिपोर्ट, पेपर अथवा सूचना में कोई असत्य कथन नहीं करेगा अथवा किसी सारभूत तथ्य को नहीं छिपाएगा।
11. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के सारभूत उल्लंघन अथवा अनुपालन न होने के लिए उसके विरुद्ध शुरू की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही, इत्यादि के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया जाए।
12. सेवा प्रदाता उसकी नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संचालन में उसकी एजेंसियों और कर्मचारियों के कृत्यों और लोपों के लिए उत्तरदायी होगा।
13. सेवा प्रदाता के पास <sup>79</sup>[नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों] को ऋतु, तत्पर और सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए।
14. सेवा प्रदाता आंतरिक ऑपरेशनों के विनियमन के लिए आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा और अपनी एजेंसियों, कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त आचरण के मानक तय करेगा। उपर्युक्त संहिता में पेशेवर उत्कृष्टता और आदर्श बनाए रखना, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता और हितों के टकरावों को दूर करने जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।
15. सेवा प्रदाता नामांकन और आंकड़ा अद्यतन में यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने क्रियाकलापों में निर्माता-जांचकर्ता संकल्पना का अनुपालन करेगा।
16. सेवा प्रदाता नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया में किसी छलयुक्त, कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त नहीं होगा।
17. सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा विहित नीतियों और प्रक्रमणों के अनुसार निवासियों से इकट्ठा किए गए समस्त आंकड़ों (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक) की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करेगा।
18. सेवा प्रदाता यथा लागू नामांकन एजेंसियों, ऑपरेटर्स, पर्यवेक्षकों इत्यादि के निलंबन/प्रविरत करने/पैनल से हटाने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णय को लागू करेगा।
19. सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा विहित डाटा फील्ड, डाटा सत्यापन और बायोमेट्रिक फील्डों के लिए तय किए गए मानकों का पालन करेगा।

<sup>76</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>77</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>78</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>79</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "निवासियों" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

20. सेवा प्रदाता जरूरत पड़ने पर केवल उन यंत्रों और आईटी प्रणालियों का इस्तेमाल करेगा जिसके विनिर्देशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हों।
21. सेवा प्रदाता रिकॉर्ड के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए नियमों का पालन करेगा।
22. सेवा प्रदाता इकट्ठा किए गए डाटा के पारेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित प्रक्रम और प्रणालियों का पालन करेगा।
23. सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा यथा विहित गोपनीयता, निजता और सुरक्षा के नियमों का पालन करेगा।
24. सेवा प्रदाता आधार परियोजना के संदेशों, अर्तवस्तु और अभिप्रायों के प्रसार और संसूचन के लिए प्राधिकरण द्वारा यथा विहित नियमों का पालन करेगा। आधार लोगो और ब्रांड नाम प्राधिकरण की संपत्ति है इसलिए प्राधिकरण अपने लोगो, ब्रांड नाम, ब्रांड आकृति और अन्य संसूचन और जागरूकता सामग्रियों के इस्तेमाल की विधि और सीमा तय करेगा।
25. सेवा प्रदाता आधार प्रक्रमणों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित नियमों, प्रक्रमणों और मानको का पालन करेगा।
26. सेवा प्रदाता नामांकन की आवधिक रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा यथा विहित प्रारूप और विधि में प्राधिकरण को भेजेगा।
27. सेवा प्रदाता समय समय पर प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुरोधों के माध्यम से आधार प्रक्रमणों से संबंधित सूचना प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

### <sup>80</sup> अनुसूची-VI

<sup>81</sup>[विनियम 27(3) देखें]

**प्रपत्र 9: 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार नंबर रद्द करने के लिए आधार नंबर धारक द्वारा आवेदन**

1.	आधार नंबर या ईआईडी नंबर	
2.	नाम	
3.	लिंग	
4.	माता-पिता/विधिक सरंक्षक का नाम	
5.	पता	
6.	जन्म की तारीख	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	प्रमाणीकरण के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय का विकल्प* (कृपया	

<sup>80</sup>अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>81</sup> अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(ई), दिनांक 25.01.2024 (प्रभावी दिनांक 27.01.2024) के द्वारा शब्द "(इन विनियमनों के विनियमन 27(1)(ग) को देखें)" के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

	दिल्ली/चंडीगढ़/मुंबई/लखनऊ/ हैदराबाद/गुवाहाटी/रांची/ बेंगलुरु में से किसी एक को चुनें)	
9.	घोषणा	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 3क की उप-धारा (2) के संदर्भ में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपना आधार नंबर रद्द कराना चाहता/चाहती हूँ। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य, सही और सटीक हैं और मेरे बारे में हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर कर रहा/रही हूँ।
	हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप	
	स्थान	
	तारीख	

\* आवेदन भेजने और उसके बाद प्रमाणीकरण के लिए निवासी द्वारा जिन क्षेत्रीय कार्यालयों को चुना जाना है, उनका ब्यौरा यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट यानि [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर दिया गया है।']